

क्रमांक पा० 10(७७)नविवि/३/०४

जयपुर, दिनांक 12.8.05

22/8/05

### आदेश

शहरों के मास्टर प्लान में कई बार प्रस्तावित भू-उपयोग पर्यटन सुविधाओं/मेला स्थल दर्शाये जाते हैं लेकिन पर्यटन सुविधाओं में कौन से भू-उपयोग अनुज्ञेय होंगे, बाबत स्थिति स्पष्ट अंकित नहीं होती है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि जिन शहरों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में "पर्यटन सुविधाओं/मेला स्थल" दर्शाया गया हो उनमें उक्त भू-उपयोग के अन्तर्गत एम्बूजमेन्ट पार्क, रिसोर्ट, कैम्पिंग ग्राउन्ड, होटल, रेस्टोरेन्ट, आर्ट गैलरी, हैंडीकाफ्ट मार्केट, गोल्फ कोर्स आदि भू-उपयोग सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

मुख्यमन्त्री  
(सी०एस० बेनीवाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर को उनके यू०ओ० नोट संख्या पा० ७(ड)भूमि/स्थानी./०४/२०२२४ दिनांक 25.11.04 के सदर्भ में प्रेषित है।
4. मुख्य नगर नियोजक राज० जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पा० टीपीआर/११२०/जनरल/०३/१२०७२ दिनांक 16.12.04
5. सचिव, नगर सुधार न्यास ..... समस्त।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय, जोन अजमेर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उंदयपुर।
7. उप नगर नियोजक अलदर/भरतपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव